

द बगि पकिचर: कसिानों की मांगें

संदर्भ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं पर एकतरफि कसिान कई महीनों से वरिध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दलिली से जुड़े राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया है एवं हाल ही में पारलि [कृषि कानूनों](#) को नरिसुत करने की अपनी मांग पर अडगि हैं।

प्रमुख बडि:

- कसिानों को सरकार द्वारा दयि गए आश्वासन कनिए कानून उनके लाभ के लयि हैं, के बावजूद उन्हें भय है कि इन कानूनों की वजह से उनकी आजीविका गंभीर रूप से प्रभावलि होगी।
- कसिानों की प्रमुख मांगों में फसल उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चलि करने के साथ ही इन तीनों कृषि कानूनों को पूरगत: वापस लेना शामिल है।
- कसिान संगठनों ने भी सरकार द्वारा प्रस्तावलि कृषि कानूनों में संशोधन के कारण अपना असंतोष व्यक्त करने के लयि 'भारत बंद' का आह्वान कर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दयि था।

कसिानों की मांगें:

- **कृषि कानूनों को नरिसुत करना:** प्रदर्शनकारी कसिान संगठनों की प्रथम एवं सबसे महत्त्वपूर्ण मांग [तीनों नए कृषि कानूनों](#) को नरिसुत करने की है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य:** उचलि मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चलि करने के लयि कसिानों की दूसरी मांग [न्यूनतम समर्थन मूल्य](#) (MSP) की गारंटी देना है।
 - एक वधियक के रूप में एमएसपी की नरितरता एवं खाद्य अनाज खरीद की पारंपरिक प्रणाली हेतु कसिान एक लिखलि आश्वासन प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं।
 - कसिान संगठन चाहते हैं कि [एपीएमसी](#) अथवा मंडी प्रणाली को संरक्षण प्रदान कयि जाए।
- **वदियुत (संशोधन) वधियक:** कसिानों की तीसरी मांग [वदियुत \(संशोधन\) वधियक](#) को वापस लेने की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके कारण उन्हें मुफ्त बजिली प्राप्त नहीं होगी।
- **पराली दहन:** कसिानों की चौथी मांग [पराली जलाने](#) पर जुरमाने एवं कारावास की सज़ा को समाप्त करना है।
- **स्वामीनाथन आयोग:** कसिान स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसलि एमएसपी की मांग कर रहे हैं।
 - स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसपी में सरकार को उत्पादन की औसत लागत की कम-से-कम 50% वृद्धि करनी चाहयि। **इसे C2 + 50% सूत्र के रूप में भी जाना जाता है।**
 - इसमें कसिानों को 50% प्रतफिल देने के लयि पूंजी एवं भूमिकरिये (जसि 'C2' कहा जाता है) को भी शामिल कयि गया है।

क्या मांगें उचलि हैं?

इसके वपिकष में तरक-

- **एमएसपी एक प्रोत्साहन है, न कएक अधकिार:** यद्यपि एमएसपी से केवल कुछ कसिान लाभान्वलि हों, लेकिन एमएसपी पर होने वाला व्यय देश के लयि बहुत अधकि है।
 - एमएसपी को कसिानों को शोषण से बचाने के लयि प्रोत्साहन के रूप में दयि गया था, इसे एक अधकिार के रूप में अनविर्य नहीं कयि जा सकता है।
 - यह कृत्रमि रूप से एक उच्च कीमत होती है और उस जनसंख्या वर्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावलि करती है जो इन फसलों का उत्पादन नहीं करते हैं एवं गरीब हैं, जैसे- भूमहीन श्रमकि, गाँवों में लघु एवं सीमांत कसिान जनिहें खाद्यान्न खरीदने की आवश्यकता होती है।
- **कानून एपीएमसी प्रणाली को समाप्त नहीं करता है:** इन कानूनों की वजह से एपीएमसी प्रणाली बंद नहीं होगी बल्कि कसिानों के उपज की बकिरी के लयि यह एक वकिलप के रूप में उपलब्ध रहेगी।
 - सरकार ने तो कसिानों को एपीएमसी से बाहर भी उपज बेचने की स्वतंत्रता प्रदान की है।
- **अनुबंध कृषि:** अनुबंध कृषि व्यवस्था देश के कुछ हसिसों में पहले से ही मौजूद है। बड़े पैमाने पर अनौपचारकि अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत पश्चमि

बंगाल एवं दलिली के आस-पास पहले से ही खेती की जा रही है ।

◦ कानून तो केवल अनुबंध कृषि को मान्यता प्रदान करता है, इसे वैध बनाता है एवं किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है ।

- **पराली जलाने की अनुमति:** पराली जलाने वाले किसान, यदि पराली जलाना जारी रखते हैं, तो उन्हें जेल जाने का भय रहता है क्योंकि कानून में पराली जलाने वाले किसानों पर 1 करोड़ रूपए तक का जुर्माना अथवा पाँच वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों सज़ा जैसे कठोर दंड का प्रावधान है ।
 - प्रदूषण के वरिद्ध कानून की अत्यंत आवश्यकता के बावजूद किसानों की यह मांग चतिजनक है ।

इसके पक्ष में तर्क-

- **किसानों के कल्याण के वरिद्ध कृषि का व्यवसायीकरण:** कृषि बाज़ारों का वैश्विक अनुभव दर्शाता है कि किसानों के लिये एक नश्चिती भुगतान गारंटी के रूप में कृषि सुरक्षा के बनिा कृषि के व्यवसायीकरण के परिणामस्वरूप बड़े व्यापारियों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है ।
- **लघु एवं सीमांत किसानों के लिये जोखिम:** यह लघु एवं सीमांत किसानों के लिये एक गंभीर चुनौती है जो हमारी कृषक जनसंख्या के 86% हस्सा है ।
 - वर्तमान कानून सौदेबाज़ी के परदृश्य को उद्यमियों के पक्ष में परिवर्तित कर देते हैं ।
- **वविाद नपिटान तंत्र:** नए कृषि कानून स्पष्ट रूप से दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, किसानों को वविाद नविारण तंत्र के कस्सी स्वतंत्र माध्यम से वंचित कर देते हैं ।
 - किसानों को अदालत में अपना पक्ष रखने का अधिकार प्रदान किया जाएगा ।
- **एपीएमसी मंडियों का क्रमिक पतन:** कृषि कानून बाज़ार/नज़ी क्षेत्र के लिये विकल्प खोलते हैं, जहाँ एमएसपी भुगतान करने हेतु खरीदार का कोई वैधानिक दायित्व नहीं होगा ।
 - चूँकि बाज़ार/नज़ी क्षेत्र से कोई बाज़ार शुल्क नहीं लिया जाएगा एवं कृषि क्षेत्र का विपणन एपीएमसी मंडियों से इन नज़ी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाएगा ।
- **कृषि राज्य सूची का वषिय है:** केंद्र सरकार ने संविधान की सातवी अनुसूची की राज्य सूची के तहत वषिय रूप से राज्य सरकार के क्षेत्र में आने वाले वषियों पर कानून बनाकर संघीय ढाँचे को दरकिनार कर दिया है ।

आगे की राह

- **मध्यम मार्ग चुनना:** सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करना चाहती है, जबकि इन कानूनों को रद्द करने के लिये किसान वरिध पर अडगि हैं । यहाँ एक मध्यम मार्ग अपनाने की आवश्यकता है ।
 - दोनों पक्षों के मध्य कुछ समझौते होने चाहिये, यदि सरकार कुछ वास्तविक मांगों को स्वीकार कर रही है, तो किसानों को भी कुछ शर्तों पर सहमत होना चाहिये ।
- **अधिकारों के संदर्भ में पूर्ण जानकारी:** किसानों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी के साथ-साथ कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होती है जो कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा भी प्रदान की जानी चाहिये ।
- **भूमिहीन श्रमिक:** भूमिहीन श्रमिकों को अक्सर कल्याणकारी नीतियों से वंचित कर दिया जाता है, जबकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्यक हैं । भूमिहीन श्रमिकों पर अधिक नीतित ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये ।
- **लोगों के सुझाव:** वषिय रूप से वषिव के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक नया वधियक पारति करने से पहले सभी हतिधारकों के सुझाव लेना महत्त्वपूर्ण है ।

नषिकर्ष:

देश के नरिमाण में किसान का महत्त्वपूर्ण योगदान है, उनके हतियों का संरक्षण कयि जाने के साथ उनके मुद्दों पर गंभीरता से वचिार कयि जाना चाहिये । इस मामले में बीच का मार्ग अपनाना सबसे उचति एवं समझदारीपूर्ण हो सकता है ।